



बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)  
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना-01



सं०सं०- टी-1/स्था०(06) अनु०-125/2024...2318 पटना, दिनांक...22/08/2024

प्रेषक,

निदेशक  
नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:-

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या-07/2023 से 36/2023 के आधार पर अनुदेशक संवर्ग के विभिन्न व्यवसाय अनुदेशक के पदों पर निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या-07/2023 से 36/2023 के आधार पर अनुदेशक संवर्ग के विभिन्न व्यवसाय अनुदेशक के पदों पर निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों/बायोमैट्रिक की जाँच/सत्यापन के संबंध में प्रेस-विज्ञप्ति तथा सी०डी० संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य के प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।  
अनुलग्नक- प्रेस विज्ञप्ति एवं सी०डी० एक प्रति।

विश्वासभाजन

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-22-08-24

ज्ञापांक- टी-1/स्था०(06) अनु०-125/2024...2318/

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण,  
बिहार, पटना।





बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)  
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना-01



### प्रेस विज्ञप्ति

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या-07/2023 से 36/2023 के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों/बायोमैट्रिक जाँच/सत्यापन (Certificate Verification) हेतु दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, वेटनरी कॉलेज के निकट, पटना में एतदर्थ गठित समिति के समक्ष निम्न प्रकार से तिथिवार एवं विज्ञापन व्यवसायवार दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा :-

तिथि	विज्ञापन संख्या	व्यवसाय
दिनांक- 29.08.2024 (08:00 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ)	16/2023	मैकेनिक डीजल
	18/2023	प्लम्बर
	22/2023,	इलेक्ट्रीशियन
दिनांक- 30.08.2024 (08:00 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ)	07/2023	मशीनिस्ट
	09/2023	ड्राफ्टसमैन मेकेनिकल
	10/2023	फिटर
	11/2023	टर्नर
	12/2023	मेकेनिक ट्रेक्टर
	13/2023	मेकेनिक मोटर व्हेकिल
	17/2023	वैल्डर
	19/2023	फाउंड्रीमैन
	23/2023	इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक
	24/2023	वायरमैन
	26/2023	सोलर टेक्निशियन(इलेक्ट्रिकल)
	32/2023	ड्राफ्टसमैन सिविल
	33/2023	इन्फॉर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेन्टेनेन्स
34/2023	सर्वेयर	
35/2023	इंजिनियरिंग ड्राईंग	

2. प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो-दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे:-

- मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- अनुभव एवं प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र।
- अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
- यदि अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate)।



(vi) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित कोटि के अनु0जाति/अनु0 जन जाति अभ्यर्थियों के लिए)।

(vii) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु)।

(viii) बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card)।

(ix) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र।

(x) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) अभ्यर्थी अपने साथ लायेंगे। उक्त विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/labour> पर उपलब्ध है।

(xi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र।

(xii) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र की सभी प्रमाण-पत्र/अभिलेख सही है तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई मामला दर्ज/विचारधीन नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है। शपथ पत्र का विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/labour> पर उपलब्ध है।

(xiii) पासपोर्ट साईज का हाल का 4 (चार) रंगीन फोटो।

(xiv) कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करें, यथा—Aadhar Card, Driving License, Passport/Ration Card etc.

(3) प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थियों के संबंध में विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा।

निदेशाक

नियोजन एवं प्रशिक्षण

बिहार, पटना।



[25 (2)]

बिहार सरकार  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक 20. 08. 2007

संख्या-3/एम०-166/2006-का०-2797/भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है-

**बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-** (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007" कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 का प्रतिस्थापन।-  
उक्त नियमावली के नियम-14 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-

"14. लघु एवं बृहत् शास्तियाँ।- समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसमें इसके बाद यथाउपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ, सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी, यथा :-

**लघु शास्तियाँ -**

- (i) निन्दन;
- (ii) प्रोन्नति रोकना;
- (iii) लापरवाही या आदेशोत्लघन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;
- (iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;
- (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना;

**बृहत् शास्तियाँ-**

- (vi) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना;
- (vii) इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति, इन निर्देशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियों अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;



(viii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिये उस कोटि या पद या सेवा में जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जानेवाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(x) सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;

(xi) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी;

परन्तु ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिये हेतु या पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, खंड (x) या खंड (xi) में उल्लेखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी;

परन्तु और कि किसी आपवादिक मामले में तथा लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

*स्पष्टीकरण* – इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, यथा –

- (i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करनेवाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन-वृद्धि रोक रखना;
- (ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद, जिसके लिये वह पात्र हो, के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना ;
- (iii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद, जिसके लिये वह पात्र हो, के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना ;
- (iv) उच्चतर सेवा, कोटि या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अनजुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन;
- (v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन;
- (vi) किसी सरकारी सेवक की सेवा का, जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन के किसी प्राधिकार से उधार ली गयी हो, उस राज्य सरकार या उस प्राधिकार में प्रतिस्थापन, जिससे ऐसे सरकारी सेवक की सेवा उधार ली गयी थी;
- (vii) अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति;



(viii) सेवा-समाप्ति -

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार।”

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 में संशोधन।- उक्त नियमावली के नियम-16 के उप-नियम (2) में प्रयुक्त शब्द-समूहों “नियम-14 के खंड (vi) से (x)” को शब्द-समूहों “नियम-14 के खंड (vi) से (xi)” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 17 में संशोधन।- उक्त नियमावली के नियम-17 के उप-नियम (1) एवं (21) में जहाँ-जहाँ शब्द-समूह “नियम-14 के खंड (vi) से (x)” प्रयुक्त हुए हैं वहाँ-वहाँ उन्हें शब्द-समूह “नियम-14 के खंड (vi) से (xi)” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 में संशोधन।- उक्त नियमावली के नियम-18 के उप नियम (6) में प्रयुक्त शब्द-समूह “नियम-14 के खंड (vi) से (x)” को शब्द-समूह “नियम-14 के खंड (vi) से (xi)” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
आमिर सुबहानी  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-3/एम०-166/2006 का०- 2797

पटना, दिनांक 20.08.2007

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-3/एम०-166/2006 का०- 2797

पटना, दिनांक 20.08.2007

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी  
सरकार के सचिव



In the Court of Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate

Sri-----S/O.D/O-----  
-----Aged-----by caste-----  
--by faith----- by Nationality Indian by occupation-----  
-----resident of village-----Town-----  
----- P.O-----P.S-----District-----

-----do here by solemnly affirm and declare as follows:-

That I am a permanent resident of aforesaid village/Town which falls under  
P.O-----P.S-----District-----

- (i) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.
- (ii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the honourable Court.
- (iii) That all the document i.e caste certificate, residential certificate, educational qualification certificates/marks sheets and others certificate filed by me in connections with the recruitment under Bihar Technical Service Commission are true to the best of my belief and knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates. I will be liable to be punished under Law.

The Statements made above are true to the best of my knowledge. belief & information and I sign this-----day-----  
-----at-----

Deponent Signature

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is identified by the Advocate-----

Signature of Magistrate-----